

प्लास्टिक या स्मार्ट आधार कार्ड की कोई जरूरत नहीं

नई दिल्ली। यूआईडीएआई ने ऐसे गैर अधिकृत संगठनों को चेतावनी दी है, जो प्लास्टिक के आधार कार्ड के लिए 50 से 200 रुपये ले रहे हैं। यूआईडीएआई ने कहा है कि प्रिंटेड आधार कार्ड की मान्यता काफी है।

यूआईडीएआई ने लोगों से कहा है कि वे प्लास्टिक कार्ड जैसे फंदे में न फंसें। आधार लेटर या इसका कटा हुआ हिस्सा या फिर साधारण कागज पर आधार का डाउनलोड वर्जन पर्याप्त है। यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने एक बयान जारी कर कहा है कि आधार कार्ड या आधार का डाउनलोड प्रिंटेड वर्जन सभी जगहों में इस्तेमाल के लिए पर्याप्त है। एजेंसी